फर्द अहकाम

श्रीराम बनाम कैलाश वगै.

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या ....20....../2024 S/91

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/03/26	पत्रा. पेश वकील पक्षकारान वादी वकील प्रतिवादी उपस्थित। उपरान्त प्रा.पत्र का जवाब पेश कर बहस करने हेतु निवेदन किया। जवाब पेश कर पठित रूप पत्रावली आपत्ति उपरान्त प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25.3.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
	25.03.26	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। प्रतिवादी Adv द्वारा पेश उपरान्त प्रा.पत्र मुर्दजात खारिज किया जाकर TDR पावटा से प्राप्त मुर्दजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाता है। निर्णय डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पालनार्थ तहसील जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
201 / 2024	2024 / 342	11.12.2024	25.03.2026

शीर्षक

1. धीरज कुमार पुत्र हरदयाल सिंह यादव जाति अहीर निवासी प्लाट नं. 46, गायत्री नगर विस्तार, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजेश गुप्ता पुत्र मन्ना लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नं. 289, वर्धमान नगर ए, अजमेर रोड जयपुर। वादीगण

बनाम

1 कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र सोहन
2 कोयली देवी पत्नि मूंगाराम
3 पताशी देवी पत्नि शंकर लाल
4. मूंगा पुत्र फूला
5. मूला पुत्र फूला
6. मिश्री देवी पुत्री सोहन
7 मोठू राम गुर्जर पुत्र सोहन
8 रामेश्वर गुर्जर पुत्र सोहन
9 शंकर पुत्र फूला
10 शांति देवी पत्नि सोहन लाल
11 शान्ति देवी पत्नि सोहन लाल
12 सरस्वती देवी पुत्री फूला समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ ।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज.। प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 25.03.2026

1. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह शेखावत व दिनेश कुमार दायमा के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 231 / 0.83, 232 / 0.10, 233 / 0.01, 234 / 1.41, 236 / 0.46, 238 / 0.84 कुल किता 06 रकबा 03.65 हैक्टयर भूमि वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 12 सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 231 / 0.83, 232 / 0.10, 233 / 0.01, 234 / 1.41, 236 / 0.46, 238 / 0.84 हैक्टयर भूमि वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़,के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 का दिनांक 25.08.2022 नाम हज्फ किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 30.05.2025 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. दिनांक 28.07.2025 को प्रतिवादी सं. 08 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह गुर्जर ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 मय आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल वादी वकील को दिलायी गयी, शामिल मिसल किया गया। दिनांक 13.08.2025 को वादी वकील ने प्रार्थना का जवाब पेश किया, नकल दिलायी, शामिल मिसल किया गया। दिनांक 07.08.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.08.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र का मैरिट पर निस्तारण किया गया। दिनांक 18.03.2026 को प्रतिवादी सं.07 की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश कर स्वीकार करने हेतू निवेदन किया, वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त प्रार्थनापत्र का मैरिट पर निस्तारण किया गया। तथा प्रतिवादी सं. 08 के अधिवक्ता श्री अशोक सिंह गुर्जर ने कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल वादी वकील को दिलायी गयी, शामिल मिसल किया। दिनांक 23.03.2026 को वादी वकील ने कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थनापत्र का जवाब दिये बिना सीधी ही बहस सुनने हेतू निवेदन किया, जवाब बन्द कर कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकुलाये फेरिकेन की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतू निवेदन किया, जिसके प्रत्युत्तर मे वकील वादी ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमानुसार बनाई गयी है, सही है तथा कब्जे काश्त को भी ध्यान मे रखकर बनाई गई है इसलिए प्रतिवादी के कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज कर कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। प्रतिवादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 232 में प्रार्थी/प्रतिवादी के मकानात व गुवाडा बने हुये जो कि वादी को दे दिये है, जबकि कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से साफ–साफ जाहिर हो रहा है कि खसरा नम्बर 232 में से 0.0175 है0 भूमि तो प्रार्थी/प्रतिवादी को दी गयी है तथा 0.0825 है0 भूमि वादी को दी गई है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा पेश कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र इस स्तर पर चलने योग्य नही है जो काबिले खारिज है। तथा तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः प्रतिवादी सं. 08 के द्वारा पेश कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 231/0.83, 232/0.10, 233/0.01, 234/1.41, 236/ 0.46, 238/0.84 कुल किता 06 रकबा 03.65 हैक्टयर भूमि वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	धीरज कुमार पुत्र हरदयाल सिंह जाति अहिर निवासी शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर हिस्सा 1/2, राजेश गुप्ता पुत्र मन्ना लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी वर्धमान नगर अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 1/2 खातेदार	231/0.83, 232/0.0825 हैक्ट0 भूमि ।
2	कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, कोयली देवी पत्नि मूंगाराम हि. 2281/27375, पताशी देवी पत्नि शंकर लाल हि. 2281/27375, मूंगा पुत्र फूला हि. 4/25, मूला पुत्र फूला हि. 4/25, मिश्री देवी पुत्री सोहन हि. 4/125, मोठूराम गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, रामेश्वर गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, शंकर पुत्र फूला हि. 4/25, शांति देवी पत्नि सोहन हि. 5439/27375, सरस्वती देवी पुत्री फूला हि. 2/75 समस्त जातियान गुर्जर	232/1/0.0175, 233/0.01, 234/1.41, 236/0.46, 238/0.84 हैक्ट0 भूमि ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
201/2024	2024/342	11.12.2024	25.03.2026

शीर्षक

1. धीरज कुमार पुत्र हरदयाल सिंह यादव जाति अहीर निवासी प्लाट नं. 46, गायत्री नगर विस्तार, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजेश गुप्ता पुत्र मन्ना लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नं. 289, वर्धमान नगर ए, अजमेर रोड जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र सोहन
2 कोयली देवी पत्नि मूंगाराम
3 पताशी देवी पत्नि शंकर लाल
4. मूंगा पुत्र फूला
5. मूला पुत्र फूला
6. मिश्री देवी पुत्री सोहन
7 मोठू राम गुर्जर पुत्र सोहन
8 रामेश्वर गुर्जर पुत्र सोहन
9 शंकर पुत्र फूला
10 शांति देवी पत्नि सोहन लाल
11 शान्ति देवी पत्नि सोहन लाल
12 सरस्वती देवी पुत्री फूला समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ ।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज.।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः प्रतिवादी सं. 08 के द्वारा पेश कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 231/0.83, 232/0.10, 233/0.01, 234/1.41, 236/ 0.46, 238/0.84 कुल किता 06 रकबा 03.65 हैक्टयर भूमि वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	धीरज कुमार पुत्र हरदयाल सिंह जाति अहिर निवासी शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर हिस्सा 1/2, राजेश गुप्ता पुत्र मन्ना लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी वर्धमान नगर अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 1/2 खातेदार	231/0.83, 232/0.0825 हैक्ट0 भूमि ।
2	कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, कोयली देवी पत्नि मूंगाराम हि. 2281/27375, पताशी देवी पत्नि शंकर लाल हि. 2281/27375, मूंगा पुत्र फूला हि. 4/25, मूला पुत्र फूला हि. 4/25, मिश्री देवी पुत्री सोहन हि. 4/125, मोठूराम गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, रामेश्वर गुर्जर पुत्र सोहन हि. 4/125, शंकर पुत्र फूला हि. 4/25, शांति देवी पत्नि सोहन हि. 5439/27375, सरस्वती देवी पुत्री फूला हि. 2/75 समस्त जातियान गुर्जर	232/1/0.0175, 233/ 0.01, 234/1.41, 236/ 0.46, 238/0.84 हैक्ट0 भूमि ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / 118 दिनांक: 27.3.26

तहसीलदार
तहसील पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

विषय :– उनवान धीरज कुमार वगै0 बनाम कैलाश चन्द वगै0 मु0न0 201 / 2024 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 25.03.2026 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय के प्रकरण सं0 201 / 2024 उनवानी धीरज कुमार वगै0 बनाम कैलाश चन्द वगै0 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 के द्वारा डिकी किया गया है निर्णय व डिकी की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। आप निर्णय डिक्री दिनांक 25.03.2026 के मुताबिक नियमानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– प्रति निर्णय डिकी / कुर्रेजात

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)